कुर्बानी की वैद्धता के मूल प्रमाण

[हिन्दी – Hindi – هندي]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ أصل مشروعية الأضحية ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2011 - 1432

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ़्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

कुर्बानी की वैद्धता के मूल प्रमाण

प्रश्नः

क्या कुर्बानी का हुक्म पवित्र कुरआन में आया है, और वह किस आयत में आया है ?

उत्तरः

क़तादा, अता और इक्रमा से वर्णित है कि अल्लाह तआला के फरमान :

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ (الكوثر : ١-٢)

''निःसंदेह हम ने आपको कौसर (और बहुत कुछ) दिया है। तो आप अपने पालनहार के लिए नमाज़ पढ़ें और कुर्बानी करें।'' (सूरतुल कौसर : 1–2).

में नमाज़ और कुर्बानी से अभिप्राय ईद की नमाज़ और कुर्बानी के जानवर को ज़बह करना है। ([1]) और सही बात यह है कि : इस से अभिप्राय यह है कि अल्लाह तआला ने अपने पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आदेश दिया है कि वह अपनी नमाज़ – चाहे फर्ज़ हो या नफ्ल – और कुर्बानी को विशुद्ध रूप से अल्लाह के लिए विशिष्ट करें जिसका कोई साझी नहीं। जैसाकि अल्लाह तआला ने अपने पैगंबर अपने इस फरमान में आदेश दिया है :

﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّه رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢ -١٦٣]

[1] इसे इब्ने जरीर 12/722–723, (38198, 38201, 38204) ने रिवायत किया है, और सुयूती ने इसे अद्दुर्रुल मंसूर 8/651 में इब्नुल मुंज़िर, इब्ने अबी हातिम और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ की ओर मंसूब किया है।

''आप कह दीजिये कि निःसन्देह मेरी नमाज़ और मेरी समस्त उपासनायें (इबादतें) और मेरा जीना और मेरा मरना ; ये सब केवल अल्लाह ही के लिए हैं जो सर्व संसार का पालनहार है। उसका कोई साझी नहीं और मुझे इसी का आदेश हुआ है और मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ।'' (सूरतुल–अन्आम : 162–163)

रही बात कुर्बानी के सुन्नत होने की तो वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन और कर्म से प्रमाणित है, और यह आवश्यक नहीं है कि कुर्आन में हर हुक्म का विवरण मौजूद हो। बल्कि हुक्म के अंदर इतना काफी है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित हो ; क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر:٧]

''और पैगंबर जो कुछ तुम्हें दें, उसे ले लो और जिन चीजों से तुम्हें रोक दें, उनसे रूक जाओ।'' (सूरतुल–हश्र : 7)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (النحل : ٤٤)

''यह ज़िक्र (किताब) हम ने आप की तरफ उतारी है कि लोगों की तरफ जो उतारा गया है आप उसे स्पष्ट रूप से बयान कर दें।'' (सुरतुन–नह्ल : 44)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (النساء : ٨٠)

"जो रसूल का आज्ञापालन करे उसी ने अल्लाह का आज्ञापालन किया।" (सूरतुन्निसा : 80)
इस तरह की अन्य आयतें भी हैं।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे ईशदूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, आपकी संतान और साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।''

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (समिति के अध्यक्ष), शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी (उपाध्यक्ष), शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान (सदस्य), शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद (सदस्य)।

''फतावा स्थायी समिति'' (11/392 – 393)